# माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, ग्वालियर
# MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, GWALIOR
**Deemed University**
(Declared under Distinct Category by Ministry of Education, Government of India)
**NAAC ACCREDITED WITH A++ GRADE**
Gola Ka Mandir, Gwalior (M.P.) - 474005, INDIA
Ph.: +91-751-2409300, E-mail: vicechancellor@mitsgwalior.in, Website: www.mitsgwalior.in


क्रमांकः छात्र. शा. / एमएमव्हीवाय / 2024–25 / 55 — दिनांकः 10.06.2025

## आवश्यक सूचना

संचालक तकनीकी शिक्षा म.प्र. के पत्र क्रं. एफ 5 / एमएमव्हीवाय / 2017 / 76 भोपाल दिनांक 01 / 08 / 2017 के अनुसार म.प्र. शासन द्वारा 2017–18 से "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना" प्रारंभ की गई है उपसचिव म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग मंत्रालय के संशोधित आदेश क्रमांकः एफ 5–6 / 2017 / 42 (1) के अनुसार इस योजना हेतु पात्र छात्र / छात्राओ को पुनः सूचित किया जाता है कि, छात्र / छात्राऐं आंनलाईन आवेदन कर सभी प्रमाण–पत्रों सहित, अपने आवेदन–पत्र संस्था में तत्काल जमा करना सुनिशचित करे। जिससे संस्था स्तर की कार्यवाही पूर्ण कर, MMVY के आवेदन–पत्रो को नोडल कार्यालय अग्रेषित किये जा सके । जो छात्र/छात्राये अपने आवेदन पत्र जमा नही करेगे उन्हें समझा जावेगा कि वे "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना" की पात्रता नही रखतें ।

**पात्रता की शर्ते –सत्र 2024–25**

**नवीनीकरण छात्रों हेतु** – नवीनीकरण छात्रों हेतु गत वर्ष की अंकसूची, प्रवेश पर्ची एवं फीस विवरण रसीद अपलोड किया जाना अनिवार्य है ।

**नवीन छात्रों हेतु –**

1. म.प्र. शासन के आदेश क्रं.एफ-5-6/2017/42-1 भोपाल, दिनांक 13.09.2023 के अनुसार प्रवेशित शैक्षणिक सत्र 2023–24 से छात्र / छात्राओ को जेईई (JEE) मेन्स परीक्षा में रैंक प्राप्त करने की बाध्यता नहीं होगी । किन्तु म. प्र. शासन के आदेश क्रं. / 4 / शैक्ष / एमएमव्हीवाय / 2024 / 390 भोपाल, दिनांक 18.10.2024 के अनुसार (MMVY) योजना का लाभ केवल उन विद्यार्थियों को देय होगा, जिन्होंने (JEE) मेंस परीक्षा में शामिल होकर प्रवेश प्राप्त किया है ।
2. प्रवेश परीक्षा (JEE MAINS/NEET/CLAT etc.) की अंकसूची एवं 10वीं, 12वीं की अंकसूची ।
3. विद्यार्थी म.प्र. का मूल निवासी हो, समग्र आई. डी. हो (छात्र/छात्राये 18 वर्ष पूर्ण होने पर स्वयं का मूल निवासी लगावे) ।
4. विद्यार्थी के पिता / पालक की वार्षिक आय 08 लाख या इससे कम हो (आदेश क्रं एफ-5-6/2017/42-1 भोपाल दिनांक 18.08.2023) ।
5. शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (कॉशन मनी को छोड़कर) का विवरण रसीद आदि ।
6. छात्र के पास आधार कार्ड हो। (the student to do ekyc on the portal as ekyc facility is already been provided on student login)
7. छात्र का बैंक खाता जो आधार से लिंक हो, आधार कार्ड भी आई. आई. एन. से मेप कराये (बैंक द्वारा NPCI Status भी Active करावे) गेफ प्रमाण पत्र, टी.सी. (प्रथम वर्ष छात्र) संलग्न करें।
8. विद्यार्थी ने मा.शि.मं. द्वारा वर्ष 2024 में आयोजित 12 वीं की परीक्षा 70 प्रतिशत या उससे अधिक अथवा सी.बी.एस.ई व आई. एस.सी.एस.आई. द्वारा वर्ष 2024 अथवा उसके पूर्व आयोजित 12वीं की परीक्षा 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण की हो ।

**योजना की अन्य शर्ते–**

1. छात्रों को संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा ।
2. विद्यार्थी द्वारा राज्य / केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि प्राप्त कर सकेगा ।
3. म.प्र. के समस्त युवा जो इस योजना के लाभार्थी होगे व उनका परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत म.प्र. सरकार द्वारा स्थापित फंड में उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राशि को वापिस जमा करा सकेंगे ।

**योजना में आवेदन की प्रकिया–**

1. छात्रो को शैक्षणिक शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु https://medhavikalyan.mp.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा ।
2. छात्र / छात्राओं को योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पोर्टल पर लॉग इन कर ऑनलाईन आवेदन करना होगा । एवं संस्था में समस्त दस्तावेजो के साथ आवेदन (दो सेट) जमा करने होगे ।

N Paliwal 10/6/25
रजिस्ट्रार (प्रभारी)

**प्रतिलिपि –**

1. संचालक, तकनीकी शिक्षा म.प्र. शासन भोपाल ।
2. प्राचार्य, डॉ. भीमराव अम्बेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज, ग्वालियर ।
3. सम कुलपति कार्यालय एम आई टी एस ।
4. कुलपति कार्यालय, एम आई टी एस ।
5. रजिस्ट्रार कार्यालय, एम आई टी एस ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष ।
7. समस्त सूचना पटल ।
8. बेब मैनेजर, एमआईटीएस अपलोड करने हेतु